

धनाराम - श्रीराम 32/2015

दिनांक	आज्ञा पत्र
11-12-19	<p>वार - वार का वज्र दिलाई गई कपिलोद एवं कपिलोद के वकील कोई एगिर नहीं कामे । इतना इदम एगरी एवं इदम पैरवी सावित होन से इफाल खोजी की जाती है ।</p> <p>पगावली वार तरलव तकमील दारवक दफ्तर हो ।</p> <p>निर्णय सुनाया गया [Signature]</p>

